



प्रेषक,

दीपक कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/

प्रमुख सचिव/ सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2026

**विषय:-** अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु पूर्व की व्यवस्था/निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों में संशोधन/परिमार्जन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निर्गत शासनादेश संख्या-सा-4-62/दस-96-604-82, दिनांक- 18 मार्च, 1996 एवं शासनादेश संख्या- 1/जी-2-39/दस-2014/604-82 टी0सी0, दिनांक- 27 मई, 2014 तत्क्रम में समय-समय पर जारी शासनादेशों तथा वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर विचार किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अवकाश यात्रा सुविधा की व्यवस्था में संशोधन/परिमार्जन किये जाने का मुझे निदेश हुआ है, जो निम्नवत है :-

| क्र0सं0 | अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु वर्तमान व्यवस्था                                                                                                                                                                                                                      | संशोधनोपरान्त व्यवस्था                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | शासनादेश दिनांक: 18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक के बिन्दु संख्या-8 (अवकाश की प्रकृति एवं नकदीकरण की अनुमन्यता) के अनुसार इस सुविधा का उपयोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा।<br>वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लागू की | अवकाश यात्रा सुविधा हेतु कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिनों के उपार्जित अवकाश के उपभोग संबंधी अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है।<br>अवकाश यात्रा सुविधा के निमित्त स्वीकृत अर्जित अवकाश(अधिकतम 10 दिन) के |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

|                                                                                                                                                                                                |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| गई अवकाश यात्रा सुविधा केन्द्र सरकार से भिन्न है तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति अवकाश यात्रा सुविधा के दौरान अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं है। | अवकाश नकदीकरण की अनुमन्यता प्रदान की जाती है। |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

2- अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता हेतु पूर्व में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

3- उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

भवदीय,  
दीपक कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (5) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

आज्ञा से,  
अनुराग गुप्ता,  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।